दिल्ली सरकार की पानी पर सब्सिडी

अरुण जेटली

(राज्य सभा में विपक्ष के नेता)

सब्सिडी अज्ञात वर्ग को दी जाने वाली ऐसी राशि है जिसकी मात्रा निश्चित नहीं होती। सब्सिडी के जरिये सरकार दरों अथवा लागत में कटौती नहीं करती। इससे दरें और शुल्क बनाए रखे जाते हैं। इसमें किसी वर्ग को सहायता देने के लिए केवल करदाताओं के धन का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी ज्यादा सहायता दी जाएगी, करों में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। सरकार थोड़े समय के फायदे के लिए सब्सिडी का सहारा लेती है। इससे भविष्य में कर बढ़ेंगे और कमजोर वर्गों के लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकती है। उन लोगों का उदाहरण लीजिए जो मीटर व्यवस्था के जरिये 20 किलो लीटर से कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। सब्सिडी का आपूर्ति करने वाले संगठन पर खराब असर पड़ सकता है। वास्तविक चुनौती यह है कि उन लोगों तक पानी पहुंचाया जाए जिन्हें इस समय पानी नहीं मिल रहा है। प्रत्येक इलाके में पाइपलाईन बिछाने, सभी घरों में नल लगाने का काम वही दिल्ली जल बोर्ड कर सकता है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर न हो बल्कि मजबूत हो। पानी की सब्सिडी की व्यवस्था करते समय समाज के सबसे कमजोर वर्गों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। वह इस योजना से बाहर हैं। ऐसे इलाके जहां पाइपलाईन नहीं है, ऐसे घर जहां नल नहीं लगे हैं, जिन घरों में मीटर नहीं लगे हैं, जिन घरों में खराब मीटर लगे हैं, वे सब्सिडी के अधिकारी नहीं हैं। नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के घरों, खासतौर से ऐसे घर जहां कम वेतन पाने वाले कर्मचारी रहते हैं और दिल्ली छावनी क्षेत्र के घरों को पानी की सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी में सबसे कमजोर तबका नहीं आता है और केवल वही लोग आते हैं जिनके घरों में मीटर वाले नल हैं।

दिल्ली में करीब 18 लाख पानी के कनेक्शन हैं। इनमें से 8.5 लाख घरों के मीटर काम करते हैं। करीब 5 लाख खराब मीटर हैं अथवा वे काम नहीं करते। शेष में मीटर नहीं हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में झुग्गियों में पानी का कनेक्शन नहीं है और उन्हें मुफ्त पानी की योजना का

लाभ नहीं मिलता। वे टैंकरों पर निर्भर रहते हैं। अनेक अनधिकृत कालोनियों में पाइपलाईन नहीं है और उनमें पाइपलाईन बिछाई जानी है। वहां अलग–अलग घरों के लिए कनेक्शन नहीं हैं और इसलिए वे मुफ्त पानी योजना के अंतर्गत नहीं आते। अनेक सहकारी आवास सोसायटियों में एक ही कनेक्शन है, प्रत्येक फ्लैट का अलग कनेक्शन नहीं है। उन्हें भी मुफ्त पानी नहीं मिल सकता। दिल्ली के मध्यम वर्ग के कुछ लोग, जिनके कनेक्शन मीटर से जुड़े हैं और जो 20 किलो लीटर से कम यानी प्रतिदिन केवल 666 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं वे मुफ्त पानी पाने के अधिकारी हैं। जो लोग 20 किलो लीटर से अधिक पानी का इस्तेमाल करेंगे उनसे इस्तेमाल किए गए पूरे पानी की वसूली की जाएगी वो भी शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ। दिल्ली को चार श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहली श्रेणी में वह लोग हैं जिनके पास नल और पाइपलाईन कनेक्शन नहीं हैं। वे योजना से बाहर हैं। वे लोग जिनका मीटर खराब है या जिनके पास मीटर नहीं हैं वे भी योजना से बाहर हैं और उन्हें पानी का पैसा देना है। केवल ऐसे लोग जिनके मीटर काम कर रहे हैं और जिनकी पानी की खपत 20 किलो लीटर प्रति महीने से कम है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। अन्य लोग जिनकी खपत 20 किलो लीटर से ज्यादा है उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस योजना का लाभ ऊपर दी गई चार श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुछ लोगों को मिलेगा और ये लोग सबसे कमजोर वर्ग में शामिल नहीं हैं।

****